उ० प्र० पावर ट्रॉसिमशन कारपोरेशन लि०

उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता विद्युत पारेषण मण्डल निकट अमर उजाला प्रेस, बाई पास रोड आगरा-282007



मो0 न0: 9458096415

E-Mail:- setagra@upptcl.org GSTIN No. 09AAACU8823E1Z9

पत्रांक -3.9.2. विपाम(आ) / ई निविदा संशोधन-टी-43 एवं 44 /2023-24

दिनांक 12/02 2024

विषय -

विज्ञापन आदेश पत्र

सेवा में

विज्ञापन व्यवस्थापक इण्डियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली / पॅजाब केसरी, नई दिल्ली अमर उजाला , आगरा हिन्दुस्तान आगरा

महोदय,

कृपया संलग्न विज्ञापन अपने प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्रों में कम से कम स्थान में (हिन्दी भाषा के समाचार पत्रों के लिये 8-10 प्वाइन्ट टाइप में तथा अंग्रेजी भाषा के समााचार पत्रों के लिए 6-8 प्वाइन्ट टाइप में) समाचार पत्र के केवल एक कॉलम में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। हैंडिंग व नीचे का नाम व पता यथासम्भव एक ही लाइन में रिनंग मैटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें।

स्थानीय प्रकृति की सूचनाएं जैसे बिजली बन्द रहने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगाने की सूचना, बिजली बिलों के सम्बन्ध में सूचना आदि 1. का प्रकाशन यथासम्भव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा निविदा सूचनाओं का प्रकाशन निविदा हेतु निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था

स्निश्चित करें।

प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों 2. में अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण वाउचर प्रतियाँ संलग्न करते हुए अधीक्षण अभियन्ता विद्युत पारेषण मण्डल उ०प्र0पा०ट्रा०का०लि०, आगरा को जहाँ भुगतान क्षेत्रीय स्तर पर होना प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव न होगा।

संलग्न हिन्दी / अंग्रेजी भाषा की विज्ञापन सामग्री का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में अंग्रेजी भाषा में एवं हिन्दी समाचार पत्र में 3. केवल हिन्दी भाषा में ही किया जाये। हिन्दी समाचार पत्र के संलग्न अंग्रेजी भाषा की सामग्री का अनुवाद हिन्दी भाषा में करने के उपरान्त ही

विज्ञापन प्रकाशित किया जाये। जिसके लिये समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतम् एक सप्ताह के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ भेज दी जाये।

अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।

यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हों तो 5. कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें। जो संस्करण निगम द्वारा मान्यता प्राप्त न हो सके उसका प्रकाशन न करें।

विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे 'राष्ट्र हित में बिजली बचाओ' नारा तथा विज्ञापन आदेश की संख्या एवं दिनांक अवश्य प्रकाशित करें। 6.

उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में निगम द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा 7. सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका / निरस्त किया जा सकता है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

पत्रांक – 392 विपाम(आ) / दिनांक – 12/02/2021 प्रतिलिपि विज्ञापन सामग्री सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

मुख्य अभियन्ता (पारे०द०प०), उ०प्र०पा०का०लि०, आगरा ।

उपमहाप्रबन्धक (लेखा) (पा०द०प०), उ०प्र०पा०का०लि०, आगरा ।

अधिशासी अभियन्ता , विद्युत पारेषण खण्ड द्वितीय आगरा ।

नोटिस बोर्ड संलग्न - उपरोक्तानुसार

बंशी लाल) अधीक्षण अभियन्ता विद्युत पारदण सण्डल आगरा

बंशी लाल) अधीक्षण अभियन्ता

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्सिमशन कारपोरेशन लिमिटेड ई-निविदा संशोधन सूचना

इस कार्यालय द्वारा आमन्त्रित अल्पकालीन ई-निविदा संख्या टी- 43/वि.पा.म.(आ.)/2023-24 विद्युत पारेषण मण्डल आगरा के अन्तर्गत 400/200/132 के0वी0 उपकेन्द्रों का (वर्ष 2024-25 एवं 2025-26) दिनांक 31.03.2026 तक परिचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य हेतु एंव अल्पकालीन ई-निविदा संख्या टी-44/वि.पा.म. (आ.)/2023-24 — विद्युत पारेषण मण्डल आगरा के अन्तर्गत विभिन्न 400/200/132 के0वी0 लाइनों का (वर्ष 2024-25 एवं 2025-26) दिनांक 31.03.2026 तक पेट्रोलिंग एवं अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य हेतु अल्पकालीन ई-निविदा के स्थान पर पूर्णकालीन ई-निविदा पढा जाये

अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, आगरा "राष्ट्र हित में बिजली बचायें"

उपरोक्त विवरण ही प्रकाशित किया जाना है निम्न नाम, पदनाम एवं मुहर को प्रकाशित नहीं किया जाना है।

(बंशी लाल) अधीक्षण अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता अधीक्षण अभियन्ता